सं. 1/1(2)/2025-ई.II(बी)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

*****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक 02.04.2025

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय: छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान/ग्रेड वेतन में अपना वेतन आहरित कर रहे कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की संशोधित दरें।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 07 नवंबर, 2024 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/6(1)/2024-ई.II(बी) के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार संशोधन-पूर्व वेतनमान/ग्रेड वेतन में अपना वेतन आहरित कर रहे कर्मचारियों के संबंध में महंगाई भत्ते की दर दिनांक **01.01.2025** से मूल वेतन के 246% की विद्यमान दर से बढ़ाकर **252%** कर दी जाएगी।

2. इन आदेशों के तहत महंगाई भत्ते को विनियमित करते समय, इस मंत्रालय के 29 अगस्त, 2008 के का.ज्ञा. सं. 1(3)/2008-ई.II(बी) के पैरा 3, 4 और 5 में उल्लिखित प्रावधान लागू रहेंगे।

3. इस कार्यालय ज्ञापन की विषय-वस्तु को मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन उन सभी संगठनों के ध्यान में भी लाया जाए जहां केन्द्र सरकार के वेतनमान लागू हैं।

स.कु.दास

(समीर कुमार दास)

उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)।

प्रतिलिपिः नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि (मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार)।